लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 17/ 2023
GCMS NO. : 2023/74

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्री शरद पंड्या, कार्यालय अन्दर की खबर समाचार पत्र, घंटाघर के पास, त्रिपोलिया रोड, बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा
2. तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 03–11–2023

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 17.08.2023 (पोस्टल ऑर्डर नं. 60 एफ 515932) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा द्वारा निर्धारित अवधि में भी सूचना उपलब्ध नही कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 03.10.2023 को जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 20.10.2023 को अपीलार्थी उपस्थित रहे। प्रत्यर्थी ने पत्र [illegible] आरटीआई/ 2023/ 271 दिनांक 06.10.2023 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा [illegible] सूचना तहसीलदार बांसवाडा से सम्बन्धित होने से मूल प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत पत्रांक 316

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 13:15:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक 23–08–2023 से स्थानान्तरित किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी को जरिये प्रति अवगत कराया गया है। तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा को रेस्पोडेंट के रुप में अंकित करते हुए नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

आज दिनांक 03–11–2023 को अपीलांट दौराने सुनवाई अनुपस्थित है। तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि कार्यालय के पत्रांक 428 दिनांक 18.09.2023 से अपीलार्थी को सूचना के सन्दर्भ में जवाब प्रेषित किया गया है। जो उन्होने स्वयं प्राप्त किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा, तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उसके संलग्न पत्रादि का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 17.08.2023 को प्रस्तुत कर यह सूचना चाही कि राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नंबर 7525/2023 स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस राजीव पिता ताराचन्द कोठारी, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। "इस सन्दर्भ में यह सूचना दे कि उक्त प्रकरण में डबल बैंच में अब तक वाद दायर किया गया है तो वाद दायर करने सम्बन्धित पत्रावली देवे वाद दायर नही किया गया है तो वाद दायर नही करने से सम्बन्धित कारणो एवं किये गये पत्राचारो की सत्यापित प्रति देवे।" तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 428 दिनांक 18.09.2023 से अवगत कराया कि प्रश्नगत आवे[illegible]21.08.2023 को प्राप्त हुआ। वांछित पत्रावली मूल ही जिला कलक्टर बांसवाडा को पत्रांक 1168 दिनांक [illegible] को प्रेषित की जा चुकी है। सूचना कलक्टर कार्यालय बांसवाडा से प्राप्त करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 13:15:12 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा के जवाब के संलग्न पत्रादि अनुसार प्रार्थी का आवेदन दिनांक 21.08.2023 को तहसीलदार बांसवाडा को प्राप्त हो चुका था एवं वांछित सूचना सम्बन्धित पत्रावली जिला कलक्टर बांसवाडा को पत्रांक 1168 दिनांक 28.08.2023 को प्रेषित की। तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा के पास प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तैयार करने का पर्याप्त अवसर था, किन्तु उक्त सूचना तैयार नही की गई वरन् अपीलार्थी को पत्रांक 428 दिनांक 18.09.2023 से अवगत कराया कि पत्रावली मूल ही जिला कलक्टर बांसवाडा को पत्रांक 1168 दिनांक 28.08.2023 को प्रेषित की जा चुकी है। सूचना उक्त कार्यालय से प्राप्त करे। जो अत्यन्त खेदजनक है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अपने अभिलेख (कार्यालय प्रति) से तैयार कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(6) के तहत अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करवाई जावे। निर्णय की प्रति सम्बन्धित को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03–11–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 13:15:12 IST
Reason: SelfAttested